जनसुविधा • सदर अस्पताल और मरीजों का हाल जानने के लिए जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, व्यवस्था सुधारने का निर्देश

हर हाल में अस्पताल से दूर करें जलजमाव: डीएम

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

जिले का सदर अस्पताल पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से जलज माव की समस्या से जूझ रहा है। हर वर्ष मानसून के दौरान ही नहीं, बल्कि हल्की बारिश होने पर भी अस्पताल परिसर में पानी जमा हो जाता है।

जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। मंगलवार की रात जिलाध किारी दीपक कुमार मिश्र ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में जलज माव प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी ली।

डीएम ने पाया कि कई स्थानों पर पानी की निकासी का पर्याप्त प्रबंध नहीं है, जिसके कारण बारिश का पानी लंबे समय तक परिसर में जमा रहता है। इससे अस्पताल आने- जाने वाले लोगों को कठिनाई होती है और स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित होती है। जिलाधिकारी ने समस्या को गंभीर मानते हुए प्रभारी सिविल सर्जन सह एसी एमओ डॉ. बी.के. पुष्कर तथा नगर आयुक्त विकास कुमार को आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में जलज माव की स्थिति किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।

डीएम ने दोनों अधिका रियों को संयुक्त रूप से स्थल का अध्ययन कर स्थायी समाधान की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और बरसात के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाए। निरीक्षण के दौरान डीडीसी विजय कुमार पांडेय, प्रभारी डीएस डॉ राकेश कुमार, सदर अस्पताल प्रबंधक अजय कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे।

मरीजों को दें स्वास्थ्य सुविधाएं, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

निरीक्षण के दौरान निर्देश देते डीएम

हल्की बारिश में भी नहीं निकल पाता पानी

सदर अस्पताल परिसर में जलजमाव की समस्या इतनी गंभीर है कि सामान्य बारिश के बाद भी कई हिस्सों में पानी भर जाता है। मुख्य मार्गों, वार्डों के आसपास तथा अस्पताल के प्रवेश क्षेत्र में जलभराव होने से मरीजों और उनके परिजनों को आने-जाने में कठिनाई होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। बरसात के दिनों में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को कीचड़ और जमा पानी से होकर गुजरना पड़ता है।

स्वास्थ्य के साथ बुनियादी सुविधाओं पर भी फोकस

सदर अस्पताल निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के साथ-साथ अस्पताल परिसर की आधारभूत सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज के साथ साफ-सुथरा और सुरक्षित वातावरण भी मरीजों का अधिकार है। डीएम ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि स्वच्छता, जल निकासी, पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि सदर अस्पताल को मरीजों के लिए अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाया जाए।

नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर करेंगे कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जलजमाव की समस्या का समाधान केवल एक विभाग के स्तर पर संभव नहीं है। इसके लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर कार्य करना होगा। इसी उद्देश्य से प्रभारी सिविल सर्जन सह एसीएमओ और नगर आयुक्त को समन्वित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। डीएम ने अधिकारियों से जल निकासी व्यवस्था का तकनीकी मूल्यांकन कराने तथा समस्या के मूल कारणों की पहचान करने को कहा। ऐसे उपाय अपनाने का निर्देश दिया गया जिससे बारिश के दौरान अस्पताल परिसर में पानी जमा न हो। प्रशासन का मानना है कि समन्वित प्रयासों से इस पुरानी समस्या का स माधान संभव है।

न्यूज ब्रीफ

बिजली चोरी करते पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

बिक्रमगंज| विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बिक्रमगंज द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को पांच लोगों पर जुर्माना लगाया गया। इन सभी के खिलाफ बिना वैध कनेक्शन के अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। कनीय विद्युत अभियंता विकास कुमार ने बताया कि पंचायत भुई के शिवपुरहा टोला में जांच के दौरान ये पांच लोग बिना वैध विद्युत कनेक्शन के व्यावसायिक परिसरों में बिजली चोरी करते पाए गए।

इस मामले में धनजी चौधरी पर 52 हजार 17 सौ 4 रुपए, बाबूधन कुमार पर 19 हजार 7 सौ 72 रुपए, कृष्णा कुमार पर 10 हजार 1सौ 20 रुपए, लवकुश गुप्ता पर 8 हजार 9सौ 26 रुपए और इंद्रजीत कुमार पर 10,हजार 1सौ 20 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। साथ ही सभी के विरुद्ध दिनारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

मारपीट मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी

सूर्यपुरा|पुलिस ने थाना क्षेत्र के राघो डिहरा गांव से मारपीट मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थानाध्यक्ष चंदन कुमार भगत ने बताया कि राघो डिहरा गांव में प्रमोद साह के किराना दुकान पर खरीदारी के दौरान हुए विवाद को लेकर हुए मारपीट में प्रमोद साह की 40 वर्षीय पत्नी शीला देवी जबकि दूसरे पक्ष के 50 वर्षीय जयनाथ सिंह जख्मी हो गए। दोनों का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यपुरा में किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है, मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रथम पक्ष के प्रमोद साह जबकि दूसरे पक्ष के जयनाथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

नगर परिषद के सिटी मैनेजर की विदाई

बिक्रमगंज सदर|नगर परिषद बिक्रमगंज के सिटी मैनेजर आनंद किशोर का इस्तीफा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद नगर परिषद कार्यालय परिसर में उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) कोमल कुमारी, कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य उपस्थित लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी।जानकारी के अनुसार, आनंद किशोर ने व्यक्तिगत असमर्थता का हवाला देते हुए कुछ दिन पूर्व अपने पद से इस्तीफा दिया था।

भभुआ में चिकित्सकों को किया गया सम्मानित

चिकित्सक को सम्मानित करते सिविल सर्जन

भभुआ | राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) कैमूर शाखा की ओर से बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में चिकित्सक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित कर उनके सेवा, समर्पण और समाज के प्रति योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईएमए कैमूर के अध्यक्ष डॉ. दिनेश्वर कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन सचिव डॉ. संतोष कुमार सिंह ने किया।मुख्य अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉ. चंद्रेश्वरी रजक तथा विशिष्ट अतिथि एसीएमओ डॉ. एस. के. मांझी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत के महान चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. विधान चंद्र राय की जयंती एवं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

मामलों की जांच कर त्वरित निष्पादन करें

जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय में मामलों की सुनवाई की

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

लोगों की समस्याएं सुनते डीएम।

जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में दैनिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें जिला पदाधिकारी के समक्ष रखीं।

जिला पदाधिकारी द्वारा सभी परिवादों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को अग्रसारित कर समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दैनिक जनता दरबार के दौरान कोचस थाना क्षेत्र के अठवलिया निवासी रामअधीन सिंह ने बिहार सरकार की भूमि पर अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत करते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम को आवश्यक जांच एवं कार्रवाई का निर्देश दिया।

शिवसागर थाना क्षेत्र के किरहिन्डी गांव की उर्मिला देवी ने शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। इस मामले के शीघ्र निराकरण हेतु जिला शस्त्र शाखा, रोहतास को निर्देशित किया गया। इसके अलावा दावथ निवासी शुभम कुमार तिवारी ने निजी भूमि पर निर्माण कार्य में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने की शिकायत की। जिला पदाधिकारी ने मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज को निर्देश दिया।

सरकारी भूमि से हटाया जाएगा अतिक्रमण

भभुआ|कैमूर में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु चलाए जा रहे अभियानों की प्रगति की समीक्षा कर डीएम ने निर्देश दिए हैं।बता दें कि जिले में भूमि विवादों का त्वरित निष्पादन,राजस्व कार्यों में पारदर्शिता तथा आम नागरिकों को समयबद्ध सेवा प्रदान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।इस बारे में कैमूर डीएम नितिन कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है।जिला पदाधिकारी ने राजस्व संग्रह लक्ष्यों की उपलब्धि,ऑनलाइन पोर्टल माध्यम से लगान भुगतान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई हैं।लंबित म्यूटेशन मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

पायलट बाबा धाम में 12 को नि:शुल्क न्यूरो सेवा शिविर

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

डॉ ओम प्रकाश प्रसाद

जिले के प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र पायलट बाबा धाम में 12 जुलाई 2026 को निःशुल्क न्यूरो सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य तंत्रिका तंत्र (न्यूरोलॉजी) से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेषज्ञ परामर्श और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराना है। मुख्य आयोजक डॉ ओम प्रकाश प्रसाद ने बताया कि शिविर में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, लकवा (पैरालिसिस), मिर्गी (एपिलेप्सी), हाथ-पैर में झुनझुनी तथा गर्दन और कमर दर्द जैसी समस्याओं से ग्रसित मरीजों की जांच और परामर्श किया जाएगा। शिविर में आने वाले मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा तथा आवश्यक दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया

शिविर का आयोजन पायलट बाबा धाम परिसर में सुबह 8 बजे से किया जाएगा। आयोजकों ने जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि न्यूरो संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता और समय पर उपचार से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है।

पायलट बाबा धाम प्रबंधन ने बताया कि यह सेवा शिविर सामाजिक एवं मानवीय सरोकारों को ध्यान में रखकर आयोजित किया जा रहा है।

9,10,12 वीं त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू

भास्कर न्यूज़ | सूर्यपुरा

सूर्यपुरा और दावथ प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में त्रैमासिक परीक्षा बुधवार से हुआ प्रारंभ। सूर्यपुरा प्रखंड मुख्यालय के पल्स टू विद्यालय सूर्यपुरा, बलिहार,शिवोबहार, गोशलडीह सहित सभी पांच उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 9वीं,10वीं एवं 12वीं में अध्यनरत सभी छात्र-छात्राओं का त्रैमासिक परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गयी। राज राजेश्वरी प्लस टू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूर्यपुरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव रंजन पांडे ने बताया कि माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवम एवं दसवीं में अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए प्रथम त्रैमासिक परीक्षा 01 ली जुलाई से 3 जुलाई तक दोनों पाली में संचालित है,प्रथम दिन प्रथम पाली में मातृभाषा एवं द्वितीय पाली में द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा ली गई,वहीं गुरुवार को प्रथम पाली में विज्ञान और द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान तथा शुक्रवार को प्रथम पाली में गणित एवं अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी । वहीं 12वीं के छात्र-छात्राओं का त्रैमासिक परीक्षा 1 ली जुलाई से 8 जुलाई तक चलेगा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विदाई

भभुआ| बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर के संघ भवन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजीत कुमार मिश्रा को विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष रविंद्र नाथ चौबे एवं संचालन प्रसून कुमार मिश्रा ने किया। संघ के अध्यक्ष रविंद्र नाथ चौबे एवं संयुक्त सचिव सह कार्यकारी महासचिव विकास कुमार शर्मा और कार्यकारिणी के अन्य सदस्य वरीय अधिवक्ता प्रहलाद सिंह, अजीत सिंह, लल्लनजी पांडे, पूर्व महासचिव श्यामानंद उपाध्याय, अशोक कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सदानंद आदि थे।

एसपी जैन कॉलेज शिक्षक संघ ने काला बिल्ला लगाया

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के आह्वान पर 1 जुलाई को एसपी जैन कॉलेज शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों के वेतन, पेंशन के नियमितीकरण , लंबित प्रोन्नति, एनपीएस अंशदान आदि मांगों के पक्ष में कर्तव्य निर्वहन करते हुए काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया । इस प्रतिरोध प्रदर्शन में कॉलेज शिक्षकों के अलावा एस पी जैन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ काशी सिंह, फुटाब के सचिव डॉ गुरुचरण सिंह, डॉ राजेन्द्र प्रसाद सिंह ,प्रो0 विजय कुमार गुप्ता की उपस्थिति रही । इस विरोध प्रदर्शन में संघ के संरक्षक डॉ राजेश कुमार सिन्हा,अध्यक्ष डॉ रौशन कुमार, उपाध्यक्ष डॉ आनन्द कुमार, सचिव डॉ प्रेम प्रभात, कोषाध्यक्ष डॉ स्वदेश कुमार के साथ कार्यकारिणी के सभी सदस्य डॉ अतिबला सिंह, डॉ श्याम राज, डॉ शिवकुमार, डॉ कुमारी आभा, डॉ शोभा कुमारी, डॉ अनुराधा बाला, डॉ कुमार, डॉ आनन्द आदि थे।

जांच के बाद शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश मिलेगी

भभुआ |कैमूर में बिना जांच शिक्षक शिक्षिका को मातृत्व,पितृत्व और चिकित्सा अवकाश नहीं मिलेगा। बता दें कि जिले में प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक के मातृत्व अवकाश,शिशु देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश और चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति हेतु बिना जांच के ही अग्रसारित किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शंभू कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया है।

पुराने मनरेगा कानून किया जाये बहाल

सिटीरिपोर्टर | भभुआ

रैली में शामिल संगठन के कार्यकर्ता

बिहार प्रांतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन जिला कमेटी कैमूर की ओर से देशव्यापी आंदोलन के तहत भभुआ में जगजीवन स्टेडियम गेट से एक रैली निकाली गई।इस दौरान पुराने मनरेगा कानून को बहाल करो, नया बीवी जी राम जी कानून वापस लो,मनरेगा में 200 दिनों का काम और 600 दैनिक मजदूरी का भुगतान करो,मनरेगा में बजट कटौती बंद करो,मजदूर विरोधी केंद्र सरकार का नारा लगाते रैली सदर अस्पताल गेट होते हुए एकता चौक फिर भभुआ-मोहनिया पथ में स्थित लिच्छवी भवन के पास पहुंचकर धरना में तब्दील हो गई।

अध्यक्षता लाल मोहर राम जिलाध्यक्ष ने किया। राज्य अध्यक्ष रंगलाल पासवान ने कहा कि मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी,लेकिन बीवी जी राम जी कानून के द्वारा मजदूरों को बड़े पूंजीपतियों-सामंतों के सामने नत मस्तक होने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

शिक्षकों के शैक्षणिक कार्यों की होगी जांच

भभुआ| कैमूर में शिक्षकों के दैनिक शैक्षणिक कार्यों के अनुश्रवण के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई है।सभी कार्यक्रम कैमूर समग्र उत्कर्ष मिशन के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य जिले में शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास को नई दिशा देना है। शिक्षा,खेल,संस्कृति एवं तकनीकी सशक्तिकरण के क्षेत्र में पहचान स्थापित करना है।

प्रतियोगिता • कोचस में मोहर्रम पर अखाड़ा कार्यक्रम का किया गया आयोजन

कर्बला की याद में कला का किया प्रदर्शन

भास्कर न्यूज़ | कोचस

बुधवार को मोहर्रम के पावन अवसर पर कर्बला की शहादत की याद में अखाड़ा कार्यक्रम का आयोजन नरवर गांव में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नवयुवक चांद कमेटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के विभिन्न गांवों के बुद्धिजीवियों के साथ करतब दिखाने वाले खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया।

उद्घाटन मुखिया दुर्गावती देवी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमुद्दीन ने की। संचालन वसीम अंसारी ने किया। इस अवसर पर पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कर्बला के संदेश धर्म, न्याय, सत्य और इंसानियत पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के दौरान मेडल के साथ अतिथि।

कार्यक्रम के दौरान यूपी-बिहार के नामी खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि कर्बला का युद्ध सत्य और असत्य के बीच लड़ा गया ऐतिहासिक संघर्ष था। यह आज भी अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है। देउरिया एवं लबना अखाड़ा दलों के कलाकारों ने तलवारबाजी, लाठी, पासा-लाठी, भाला, बनेठी तथा आग के साथ हैरतअंगेज युद्ध-कौशल का प्रदर्शन किया।

इन पारंपरिक प्रदर्शनों के माध्यम से कर्बला के ऐतिहासिक परिदृश्य को जीवंत करने का प्रयास किया गया। मुखिया प्रतिनिधि मेजर महेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक करतब सराहनीय हैं।

कार्यक्रम के दौरान कई ऐसी कलाएं दिखाई गईं, जो जान जोखिम से भरी थीं। कार्यक्रम में कमेटी के जसीम अंसारी, सराजुल अंसारी, सगीर अंसारी, काशिम अंसारी, हातीम अंसारी, अबुल हसन अवारी, खेदु राईन, दोस्ते आलम, आफताब अंसारी, गुड्डू अंसारी, मुख्तार अंसारी, वकील अंसारी, वार्ड पार्षद सज्जाद खान, कुद्दूश अंसारी, शमशेर हाशमी, अकबर अंसारी, युवा नेता सुनिल कुमार यादव, डॉ. कामेश्वर सिंह, कामता प्रसाद सिंह, उमेश कुमार सिंह, सुभाष सिंह, श्याम नारायण सिंह, गौरीशंकर पाल ने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना योगदान दिया।

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

शाखा – सासाराम
जैसवाल कस्ता, ओल्ड जी.टी. रोड, सासाराम-821115

मांग सूचना

नोटिस अंतर्गत सेक्शन 13(2) के प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और के प्रवर्तन सुरक्षा हित अधिनियम 2002

सेवा में,
मेसर्स सत्यम रेडिमेड एण्ड गारमेन्टस, आपका टर्म लोन खाता संख्या – 7573791849 एवं सीसी खाता नं. 7573794498 इंडियन बैंक, सासाराम शाखा के साथ।

पंजीकृत पोस्ट के द्वारा दिनांक 18.06.2026 को पत्र भेजा गया।
1. मेसर्स सत्यम रेडिमेड एवं गारमेन्टस (प्रोपराईटरशीप फर्म), पता– अमारा तालाब, पोस्ट– करवंदिया, थाना– सासाराम, जिला रोहतास, बिहार– 821305
2. सत्यम कुमार, पिता– केदार प्रसाद (उधारकर्त्ता/प्रोपराईटर), पता– बामन बरहेटा, पोस्ट– कारागार, थाना– कारागार जिला रोहतास, बिहार– 821107.
3. श्रीमति सरोज देवी पति– श्री केदार प्रजापति (जमानतकर्त्ता/बंधककर्त्ता), पता– न्यू एरिया, सासाराम, पोस्ट– सासाराम, थाना– सासाराम जिला– रोहतास, बिहार– 821115

आपने रुपये 17,96,426.75/– (रूपये सत्रह लाख छयानवे हजार चार सौ छब्बीस एवं पचहत्तर पैसे मात्र) ऋण को दिनांक 19.06.2026 तक पुनर्भुगतान में चूक की है, साथ में 18.06.2026 से चुकौती की तारीख तक सहमत दर पर आगे ब्याज के साथ। बैंक ने अधिनियम के तहत 18.06.2026 को नोटिस जारी करते हुए आपसे बकाया रू. 17,96,426.75/– चुकाने को आवाहन किया गया था। दिनांक 06.06.2026 को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आपको भेजा गया नोटिस बिना प्राप्त किए वापस कर दिया गया है। आपको रू.17,96,426.75 का भुगतान करने के लिए कहा जाता है साथ में दिनांक 18.06.2026 से भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल होने पर बैंक नीचे अनुसूची में दी गई सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ सुरक्षा ब्याज को लागु करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा। इस सूचना का प्रभाव बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य सही उपाय पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

हम सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रतिभूतियों पर आपके मोचन के अधिकारों से संबंधित है।

अनुसूची
जिन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित (सिक्योरिटी इंटरेस्ट) बनाया गया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है।

बंधक परिसंपत्तियाँ :
संपत्ति 01 :– न्यायसंगत बंधक फ्रीहोल्ड भूमि एवं भवन जो भविष्य एवं वर्तमान में निर्मित के साथ जो श्रीमति सरोज देवी, मौजा– दावनपुर, भूमि माप 03 डिसमील (1307 वर्गफिट), मौजा– दावनपुर, पोस्ट– करवंदिया, थाना– सासाराम, थाना नं. 226, खाता नं. 50/52, प्लॉट नलं. 1295/654, सासाराम, जिला– रोहतास। चौहद्दी (डिड के अनुसार)– उत्तर– शशि भुषण चौहान, दक्षिण– कृष्णा सिंह, पूरब– रास्ता 10 फीट, पश्चिम– बासुदेव चौधरी।
संपत्ति 02 :– न्यायसंगत बंधक भूमि का माप 01 डिसमील (435 वर्गफिट), मौजा– अमरी, पोस्ट– करवंदिया, थाना– सासाराम थाना नं. 225, खाता नं. 129, प्लॉट नं. 682, सासाराम, जिला– रोहतास जो श्रीमति सरोज देवी के नाम पर है एवं चल संपत्ति जो मेसर्स सत्यम रेडिमेड एण्ड गारमेन्टस, ग्राम– अमरा तालाब, पोस्ट– करवंदिया, थाना– सासाराम, जिला– रोहतास, बिहार, पिन– 821305. चौहद्दी– उत्तर– रामाधार महतो, दक्षिण– चावर, पूरब– रामाधार महतो, पश्चिम– हरद्वार शर्मा।

चल परिसंपत्ति :–
1. दृष्टिबंधक फर्म के कच्चे माल, आधे–अधूरे बने सामान, इस्तेमाल होने वाले सामान, स्पेयर पार्ट्स और ऐसी ही दूसरी चल संपत्तियों (जिनमें बुक–डेब्ट्स, बिल – चाहे वे दस्तावेजी हों या साफ तौर पर बकाया हों – और अभी या भविष्य में मिलने वाली रकम शामिल है) को बैंक की संतुष्टि के अनुसार गिरवी रखना।
2. चल संपत्ति का दृष्टिबंधक (प्लांट एवं मशीनरी) मेसर्स सत्यम रेडिमेड एण्ड गारमेन्टस, पता– अमारा तालाब, पोस्ट– सासाराम जिला– रोहतास, बिहार, पिन– 821305.

दिनांक – 02.07.2026
स्थान – सासाराम
हस्ता./प्राधिकृत अधिकारी (इंडियन बैंक)
नोट – वाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठय मान्य होगा।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सम्पति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पतियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/भौतिक /रचनात्मक	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1.	शाखा: सासाराम (084600) खाता संख्या- 0846008700005578 मेसर्स पंकज मिनी राइस मिल (प्रो. बृज राज बहादुर सिंह) निवासी-ग्राम- सरैया, पोस्ट-खुर्माबाद, जिला: रोहतास, बिहार श्री बृज राज बहादुर सिंह पिता स्वर्गीय जगदेव सिंह निवासी-ग्राम- सरैया, पोस्ट-खुर्माबाद, जिला: रोहतास, बिहार। श्री अशोक कुमार सिंह ग्राम- शिवसागर, पोस्ट- सासाराम, जिला: रोहतास, बिहार।	अचल संपत्ति का वह सारा हिस्सा एवं पार्सल यहां स्थित है: मौजा सरैया, रेव थाना संख्या- 20, थाना- चेनारी, जिला: रोहतास, खाता संख्या- 11, सर्वे प्लाट संख्या- 160, क्षेत्रफल- 2 कट्ठा बृज राज बहादुर सिंह पिता स्वर्गीय जगदेव सिंह के नाम पर जिसका सेल डीड संख्या- 10465 दिनांक 28.09.2006 है। चौहद्दी:उत्तर- ललन सिंह, दक्षिण- निज, पूर्व- निज, पश्चिम- निज अचल संपत्ति का वह सारा हिस्सा एवं पार्सल यहां स्थित है: मौजा-सरैया, रेव थाना नंसंख्या- 20, थाना- चेनारी, जिला: रोहतास, खाता संख्या-11, सर्वे प्लाट संख्या-160, क्षेत्रफल- 2 कट्ठा बृज राज बहादुर सिंह पिता स्वर्गीय जगदेव सिंह के नाम पर जिसका सेल डीड संख्या-10524 दिनांक.05.10.2026 है। चौहद्दी:उत्तर- ललन सिंह, दक्षिण- निज, पूर्व- निज, पश्चिम- निज	क) 28.07.2015 ख) रु. 1,28,87,685.66/- + आगे का ब्याज एवं शुल्क/खर्च। ग) 08.07.2016 घ) सांकेतिक	क) रु. 26,19,700/- ख) रु. 2,61,970/- ग) रु. 50,000/-	दिनांक 17.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 16.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 17.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली